ग्राम पंचायत दरीण, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि01.04.2022 से 31.03.2024

भाग–एक

1. **प्रस्तावना (क):–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभागको सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत दरीण, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत दरीण में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:–

प्रधान :–

1	श्रीमति सरोज कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

1	श्रीमति अनुपमा	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत दरीण के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का सक्षिप्त सार	राशि (₹लाखों में)
1	4.1	लगातार रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़	3.55

		बही एवं बैक खातों के अन्तशेषों में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	
2	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	19.55
3	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.57
4	8	नियमानुसार रॉयल्टी की वसूली न करना ।	0.48
5	9	निर्माण सामग्री के क्रय में अधिक भुगतान करना ।	0.03
6	10	सीमेंट के क्रय में अधिक भुगतान करना ।	0.02
7	12	प्रियासॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों में अन्तर बारे	01.20

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई । पंचायत द्वारा लम्बित पैरों के समायोजन हेतु कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, जोकि चिन्तनीय विषय है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा लम्बित पैरों के समायोजन हेतु विशेष कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें ताकि अधिक से अधिक पैरों का समायोजन सम्भव हो सके । वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

1 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016

क्र0सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	5	अनिर्णीत ।
2	7	अनिर्णीत ।
3	8	अनिर्णीत ।
4	9	अनिर्णीत ।
5	10	अनिर्णीत ।
6	11	अनिर्णीत ।

7	13	अनिर्णीत ।
8	14	अनिर्णीत ।
9	15	अनिर्णीत ।
10	16	अनिर्णीत ।
11	17	अनिर्णीत ।
12	19	अनिर्णीत ।

2 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2020 से 31.03.2022

क्र0सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
	3	निर्णीत, अंकेक्षण शुल्क की प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त ।
1	4.2	अनिर्णीत ।
2	4.3	अनिर्णीत ।
3	4.4	अनिर्णीत ।
4	4.5	अनिर्णीत ।
5	5	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित ।
6	5.1	अनिर्णीत ।
7	6	अनिर्णीत ।
8	7	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित ।
9	7.2	अनिर्णीत ।
10	8	अनिर्णीत ।
11	8.1	अनिर्णीत ।
12	8.2	अनिर्णीत ।
13	8.3	अनिर्णीत ।
14	9	अनिर्णीत ।
15	9.1	अनिर्णीत ।

16	9.2	अनिर्णीत ।
17	10	अनिर्णीत ।
18	11	अनिर्णीत ।
19	12	अनिर्णीत ।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत दरीण, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के लेखों का अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 31.05.2024 से 10.06.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखोंकी विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गयाः–

वित्तीय वर्श	आय	व्यय
2022–2023	03/2023	05/2022
2023–2024	08/2023	05/2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :–इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण भुल्क :–

ग्राम पंचायत दरीण, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 244/1 दिनांक 10.06.2024 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. वित्तीय स्थिति :—

ग्राम पंचायत दरीण विकास खण्ड देहरा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :—

(1) स्वः स्त्रोत :— ग्राम पंचायत दरीण के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022—23	518420.31	33784.00	8112.00	560316.31	172019.76	388296.55
2023—24	388296.55	20000.00	990.00	409286.55	89260.80	320025.75

(2)अनुदान : ग्राम पंचायत दरीण के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया है :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022—23	2409539.36	2392331.00	46022.00	4847892.36	3236105.30	1611787.06
2023—24	1611787.06	1911802.00	40189.00	3563778.06	1608568.60	1955209.46

बैंक समाधान विवरणी :—

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC,15th FC,MMGPY, SDP,RAY,MPLAD,IWMP

A/c No. 20008005717	KCCB Jawalamukhi	2317
A/c No. 8809010002019	HGB BHAROLI	1929.04
A/c No. 88090100064131	HGB BHAROLI	1122.16
A/c No.8809100048947	HGB BHAROLI	1693
A/C No. 88090100048929	HGB BHAROLI	320233.8
A/C No. 88090100048974	HGB BHAROLI	151499.8
A/c No. 88090100048910	HGB BHAROLI	10348.8
A/c No 8809100048901	HGB BHAROLI	15033.8
A/c No 8809100048992	HGB BHAROLI	108762.8
A/c No 88090100048983	HGB BHAROLI	0

A/c No 8809110000083	HGB BHAROLI		1087750.8
A/c No 88090100048062	HGB BHAROLI		202984.8
Post Office 2440405			15192.25
cash in hand			512
		Total	**1919380.05**

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)			320025.75
Cash Book Balance on 31.03.2024	PS		17.7
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC		151499.8
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY		320233.8
Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC		1138.16
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC		1143508.8
Cash Book Balance on 31.03.2024	MMGPY		15033.8
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP		10348.8
Cash Book Balance on 31.03.2024	RAY		1681
Cash Book Balance on 31.03.2024	MPLAD		108762.8
Cash Book Balance on 31.03.2024	IWMP		202984.8
		Total	**2275235.21**
		diffrence	**355855.16**

टिप्पणी : अंकेक्षण अवधि 01.04.2020 से 31.03.2022 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा चूक के कारण शीर्ष आई0इब्ल्यू0एम0पी0 के खाता संख्या 88090100048062 ₹192193 को नहीं दिखाया गया था, जिसे वर्तमान अंकेक्षण में अनुदानों के आरम्भिक शेष में शामिल कर दिया गया है।

4.1 गत अंकेक्षणापत्ति उपरान्त भी रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹3.55 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

बारंबार अंकेक्षणापत्तियों के उपरान्त भी पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2024 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक

पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹3,55,855/–बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है तथा लगातार बैंक में इतनी अधिक राशि का कम पाया जाना इस राशि के दुर्विनियोजन, दुरूपयोग की ओर संकेत करता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 244/2 दिनांक 10.06.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 07/2024दिनांक 12.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः गत अंकेक्षण में दिये गये आश्वासन के उपरान्त भी लाखों रूपये के अन्तर के कारणों से अवगत न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अन्तर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख–रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख–रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख–रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 244/3 दिनांक 10.06.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 07/2024 दिनांक 12.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता "क" व "ख" का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. **अनुदान राशि ₹19.55 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा-निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹19,55,209/-की राशि उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

उक्त शेष अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6. **निवेशः-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है,

अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है । दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की सभा निधि में ₹ 3,20,026/–की राशि शेष थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 244/4 दिनांक 10.06.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 07/2024 दिनांक 12.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाते की छानबीन करने उपरान्त अतिरिक्त राशि को सावधि में निवेश कर दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु साविधि में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख–रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

7. पंचायत राजस्व ₹0.57 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था। दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार **(परिशिष्ट–2)** पंचायत का कुल राजस्व सम्पत्ति कर ₹57,010/–वसूली हेतु शेष थाः–

सम्पति कर :—

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022—2023	32670	21000	53670	17750	35920
2023—2024	35920	21000	56920	0	56920

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। यदि पंचायत राजस्व की बकाया राशि इसी तरह बकाया रहती रही तो किसी समय इसे संग्रहित करना असम्भव हो जायेगा।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 244/5 दिनांक 10.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 07/2024 दिनांक 12.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेंगे तथा बकाया राशि ₹ 57,010/— शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पंचायत राजस्व की इतनी अधिक राशि के परादेय (outstanding) होने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

8. खनन सामग्री आपूर्तिकर्ता के बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में राशि ₹0.48 लाख की रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सरकारी कोष को सम्भावित वित्तीय हानिः—

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81—ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म—डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म—एक्स) उपलब्ध करवाना

अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार ₹47,941/– का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 244/6 दिनांक 10.06.24 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 07/2024 दिनांक 12.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है। अतः भविष्य में रॉयल्टी की कटौती करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 % पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः ₹47,941/–के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस मामले बारे सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा शीर्षकः "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :–

बिल का विवरण	मद नाम	मात्रा (cft)	मात्रा (cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा मिट्रिक टन	रॉयल्टी (प्रति मि0 टन)	राशि (₹)
प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2022–23 व 2023–24	रेत		70.63	1.62	114.42	80	9154.00
	बजरी		106.78	1.52	162.30	80	12984.00
	बोल्डर		90.49	2.24	202.69	80	16215.00
						कुल :	**38353.00**
					पैनल्टी 25 %		9588.00
					कुल योग:		**47941.00**

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माहों के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जाँचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जाँच अपने स्तर पर करके रॉयल्टी की वस्तुस्थिति नियमानुसार वसूली करना सुनिश्चित करें तथा कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

9. निर्माण सामग्री के क्रय में गलत गणना के कारण ₹0.03 लाख के अधिक भुगतान बारेः—

..वित्तीय वर्ष 2022—23 व 2023—24 में पंचायत में ईंट, रेत, बजरी के क्रय हेतु न्यूनतम निविदा के अन्तर्गत मै0 मोहिन्द्र कुमार की दरें अनुमोदित की गई थी । क्रय की गई सामग्री के बिलों में गलत गणना के कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 244/7 दिनांक 10.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 07/2024 दिनांक 12.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अधिक अदायगी की वसूली करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

वाउचर सं0 व दिनांक	बिल सं0 व दिनांक	सामग्री का विवरण	भुगतान की गई राशि (₹)	भुगतान योग्य राशि (₹)	अधिक भुगतान	कार्य का नाम
पी—1, 14.05.23	256, 14.05.23	बजरी कशर 12. 50cum @ 1554/- per cum	20425.00	19425.00	1000.00	नि0 नाली वरोटा जागीर फेस—।। 15th FC
पी—1, 14.05.23	251, 14.04.23	रेता 7.48cum @ 1554/- per cum	12623.00	11623.00	1000.00	नि0 बाबडी महिन्दर की जमीन में गॉव भराल 15th FC
पी—1, 14.05.23	251, 14.04.23	सेलिंग 1.21cum @ 706/- per cum	954.00	854.00	100.00	—यथोपरि—
पी—1, 14.05.23	251, 14.04.23	टूटा पत्थर 11. 28cum @ 1275/- per cum	15382.00	14382.00	1000.00	—यथोपरि—
					3100.00	

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

10. सीमेंट के क्रय में अधिक भुगतान बारे :–

..वाउचर संख्या 5 दिनांक 22.04.2023 के अंकेक्षण में पाया कि 200 बैग सीमेंट के क्रय हेतु ₹379/– की दर से ₹75800/– का भुगतान हि0प्र0 सिविल सप्लाई का0 को किया गया था परन्तु बिल संख्या 10250 दिनांक 22.04.2023 द्वारा 190 बैग ₹379/– की दर से ₹72010/– का सीमेंट प्राप्त किया गया तथा 10 बैग सीमेंट ₹379/– की दर से ₹3790/–का कम प्राप्त हुआ था। फलस्वरूप समुचित लेखांकन व्यवस्था के अभाव में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 244/8 दिनांक 10.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 07/2024 दिनांक 12.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि वाउचर सख्या 10 दिनांक 30.05.2023 को 241 बैग सीमेंट की बुकिंग की गई थी जिसके एवज में बिल सख्या 17882 दिनांक 18.09.2023 को पंचायत में 246 बैग सीमेंट प्राप्त हुआ। अतः बकाया 5 बैग सीमेंट पचांयत में प्राप्त होने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा कम प्राप्त सीमेंट 5 बैग हेतु राशि ₹1895/– की वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा इस तरह के मामलों की समुचित मॉनिट्रिंग के लिए सीमेंन्ट समायोजन खाते का रख–रखाव करना सुनिश्चित करें।

11. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेा, प्राकल्लन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे ।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी, जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 244/9 दिनांक 10.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 07/2024 दिनांक 12.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि तकनीकी सहायक के बिमार व परिवर्तित अवकाश पर होने के कारण माप पुस्तिकायें इत्यादि अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवा सके। अतः सम्बन्धित अभिलेख से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

	2022-23
1	नि० एम्बुलैंस रोड मेन रोड से पप्पू के घर तक 15th FC
2	नि० एम्बुलैंस रोड मनोज के घर से लिंक रोड तक 15th FC
3	नि० बाबडी गॉव भराल मोहिन्द्र सिंह के जमीन में 15th FC
4	नि० रास्ता बाली की जमीन से पवन के घर तक 15th FC
5	नि० जीप योग्य रास्ता जगत राम की जमीन से बांस के पेड तक मनरेगा
6	नि० सार्वजनिक तालाब गॉव भराल MNREGA

	2024—24
1	नि0 नाली बरोटा जागीर फेस—2 15th FC
2	नि0 रास्त चन्दा राम के घर से चडी तक ZP
3	नि0 बाबडी राम पाल की जमीन से गाँव भराल MNREGA

अतः हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये वाँछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

12. प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹1.20 लाख की राशि के अन्तर बारे:—

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ—साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई—पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण में जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो खाते प्रिया सॉफ्टवेयर में बनाये जा रहे है उनका मैनुअल रोकड वही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹1,20,011.41 की राशि का निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गया:—

31.03.2024 को प्रिया सॉफ्टवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	2395246.62
31.03.2024 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	2275235.21
अन्तर	₹	120011.41

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 244/10 दिनांक 10.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 07/2024 दिनांक 12.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफ्ट तथा मैनुअल लेखों को ठीक करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

13. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया के अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने के चलते किसी भी जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है । स्तर पर धन, सामग्री के रिसन (leakage) एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0 सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
3	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

15. **लघु आपित्त विवरणिका** :—इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी—छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

16. **निश्कर्श** :—लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

24 AUG 2024 का०/प्रति

४८८१ - ४८३३

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(XV)(2)8/2016—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत दरीण, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

24 AUG 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

का०/प्रति

(1)

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "DAREEN" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS	50986	0	1028	52014	51843.4	170.6
2	5 SFC	71448	398478	4065	473991	287270.4	186720.6
3	VKVNY	390254	160000	4189	554443	552699.4	1743.6
4	14TH FC	1061.16	0	22	1083.16	0	1083.16
5	15TH FC	1508798	759787	26338	2294923	1200283.4	1094639.6
6	SBM	36	0	0	36	36	0
7	MMGPY	14330	0	402	14732	35.4	14696.6
9	SDP	96073	0	2697	98770	53.1	98716.9
10	RAY	1703.2	0	36	1739.2	35.4	1703.8
11	MPLAD	82657	0	1850	84507	69747.4	14759.6
13	IWMP	192193	0	5395	197588	35.4	197552.6
16	MNREGA	0	1074066	0	1074066	1074066	0
	Total Rs.	2409539.36	2392331	46022	4847892.36	3236105.3	1611787.06

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "DAREEN" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS	170.6	0	39	209.6	191.9	17.7
2	5 SFC	186720.6	276512	4355	467587.6	316087.8	151499.8
3	VKVNY	1743.6	543796	924	546463.6	226229.8	320233.8
4	14TH FC	1083.16	0	55	1138.16	0	1138.16
5	15TH FC	1094639.6	288259	26310	1409208.6	265699.8	1143508.8
6	SBM	0	0	0	0	0	0
7	MMGPY	14696.6	0	408	15104.6	70.8	15033.8
9	SDP	98716.9	26000	1000	125716.9	115368.1	10348.8
10	RAY	1703.8	0	48	1751.8	70.8	1681
11	MPLAD	14759.6	210000	1547	226306.6	117543.8	108762.8
13	IWMP	197552.6	0	5503	203055.6	70.8	202984.8
16	MNREGA	0	567235	0	567235	567235	0
	Total Rs.	1611787.06	1911802	40189	3563778.06	1608568.6	1955209.46

Balance as per Bank on 31.03.2024

1 Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, GRDY,MMGPY,SDP,RAY,MPLAD,RGSA,SDRF,IWMP,Livelihood,

A/c No. 20008005717	KCCB Jawalamukhi	2317
A/c No. 8809010002019	HGB BHAROLI	1929.04
A/c No. 88090100064131	HGB BHAROLI	1122.16
A/c No.8809100048947	HGB BHAROLI	1693
A/C No. 88090100048929	HGB BHAROLI	320233.8
A/C No. 88090100048974	HGB BHAROLI	151499.8
A/c No. 88090100048910	HGB BHAROLI	10348.8
A/c No 8809100048901	HGB BHAROLI	15033.8
A/c No 8809100048992	HGB BHAROLI	108762.8
A/c No 8809110000083	HGB BHAROLI	1087750.8
A/c No 88090100048062	HGB BHAROLI	202984.8
Post Office 2440405		15192.25
cash in hand		512
	Total	1919380.05

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		320025.75
Cash Book Balance on 31.03.2024	PS	17.7
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC	151499.8
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY	320233.8

Dareen

②

Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC		**1138.16**
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC		**1143508.8**
Cash Book Balance on 31.03.2024	MMGPY		**15033.8**
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP		**10348.8**
Cash Book Balance on 31.03.2024	RAY		**1681**
Cash Book Balance on 31.03.2024	MPLAD		**108762.8**
Cash Book Balance on 31.03.2024	IWMP		**202984.8**
		Total	**2275235.21**
		diffrence	**355855.16**

Daren

(3)

Financial Position of Own sources in r/o GP Dareen

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	518420.31	33784	8112	560316.31	172019.76	388296.55
2023-24	388296.55	20000	990	409286.55	89260.8	320025.75

Dareen

परिशिष्ट-2
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 के सन्दर्भ में)

List of outstanding Property tax for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o GP DAREEN

Distt.Kangra,H.P.

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-2023	32670	21000	53670	17750	35920
2023-2024	35920	21000	56920	0	56920

Dareen

(अतिक्रमण प्रीविलेज के पैरा संख्या 2 के सन्दर्भ में) ①

Office of Gram Panchayat Dareen , Development Block Dehra Year 2022-23											
Sr. No.	Month	Name of work	Bill No and Date	Sand Water Bond	Sand Crusher	bajra Water Bond	Crusher bajari 20mm, 40mm	Soling	Bricks	Amount	Head
1	May-22	**Construction of Ambulance road Main road to Pappu house village Bharal**	253, Dated 04-04-22					**20m^3**		14120	15FC
2	May-22	**Construction of Ambulance road Main road to Pappu house village Bharal**	260, Dated 04-04-22	4.50m^3	6.50m^3	9m^3	13.50m^3			40611	15FC
3	May-22	**Construction of babadi in the land of Mohinder Singh village Bharal**	378 Dated 11-05-22						1000 Pieces	7314	15FC
4	May-22	**Construction of Ambulance road manoj kumar house to main road Village Makhrod**	265 Dated 11-03-22				28.50m^3			44289	15FC
5	May-22	**Construction of Ambulance road manoj kumar house to main road Village Makhrod**	266 Dated 11-03-22			14m^3		32m^3		32476	15FC
6	May-22	**Construction of Ambulance road manoj kumar house to main road Village Makhrod**	267 Dated 11-03-22	12m^3	10m^3					23302	15FC
7	May-22	**Construction of road from the land of Bali to Pawan House**	206 Dated 11-04-22	7m^3	5m^3	10m^3		20m^3		32125	15FC
			Total	23.5m3	21.5	33m3	42m3	72m3	1000 No.		

(signature)
Dareen

②

Office of Gram Panchayat Dareen , Development Block Dehra Year 2023-24											
Sr. No.	Month	Name of work	Bill No and Date	Sand Water Bond	Sand Crusher	Bajra Water Bond	Crusher bajari 20mm, 40mm	Soling	Bricks	Amount	Head
1	May-22	**Construction of drain barota Jagir Phase-2**	256 Dated 14-05-23	4.37m^3		4.45m^3	12.50m^3			26652	15FC
2	May-22	**Construction of road from Chanda house to Chaddi**	237, Dated 14-03-23	1.78m^3	12m^3	4m^3	7.87m^3	6m^3		39200	15FC
3	May-22	**Construction of babadi in the land of Mohinder Singh village Bharal**	251, dated 14-04-23		7.48m^3	1.6m^3	1.36m^3	12.49m^3		32212	15FC
				6.15	19.48	10.05	21.73	18.49			

Dareen